राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या 3/2007–08

दिनांक : 8–10–2007

1. **कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** के पदों हेतु निर्धारित O.M.R.Application Form पर प्रार्थना–पत्र आमंत्रित है।
2. आवेदक जिस पद के लिए आवेदन करना चाहता है उस पद के लिए निर्धारित O.M.R.Application Form खरीद कर आवेदन करे । आवेदक राजस्थान राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों यथा – अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला रोजगार कार्यालयों से आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये मजेण्डा रंग का निर्धारित O.M.R.Application Form को नगद भुगतान पर क्रय कर आवेदन कर सकते है ।
   नोटः आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के सभी सम्भागीय मुख्यालयों से दिनांक 18–10–2007 से 17–11–2007 तक तथा दिनांक – 19–11–2007 से आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक केवल रोजगार कार्यालय, अजमेर से O.M.R.Application Form उपलब्ध कराये जाएंगें ।
   O.M.R.Application Form क्रय करने हेतु आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का O.M.R.Application Form क्रय कर ही आवेदन करें । इस सम्बन्ध में विज्ञापन के बिन्दु ''परीक्षा शुल्क'' का आवश्यक रूप से अवलोकन करें । **गलत श्रेणी का O.M.R.Application Form क्रय कर आवेदन करने पर आवेदक का O.M.R.Application Form आयोग द्वारा रद्द कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।**
3. O.M.R.Application Form आयोग को भेजने वाले लिफाफे पर विज्ञापन संख्या, पद क्रम संख्या व पद नाम का अवश्य उल्लेख करें ।
4. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक निर्धारित O.M.R.Application Form भरना आवश्यक है । यदि आवेदक द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक O.M.R.Application Form भरकर भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों के सभी O.M.R.Application Form प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
5. आयु दिनांक 1/1/2008 को आंकी जावेगी ।
6. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। आयोग के विवेकानुसार पदों की संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक (Objective Type) या वर्णनात्मक (Descriptive Type) प्रकार की हो सकती है ।
7. पद/पदों संबंधी अन्य समस्त जानकारी पद संख्या, पात्रता, वेतन, महंगाई भत्ता, शुल्क एवं आयु सीमा आदि व उनमें छूट इत्यादि फॉर्म के साथ संलग्न ''सूचना पत्रिका'' में उपलब्ध होगी ।
8. पदों की संख्या व आरक्षित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है ।
9. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा : परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती : परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।
10. **श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा** :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होगें । केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वंय अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा ।
11. **पेंशन** :– दिनांक 1–1–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
12. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/ 2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है । तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथासमय वांछनीय होगा ।
13. आवेदक को आयोग के परीक्षा व साक्षात्कार परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है ।
14. **पदो का विवरण एवं योग्यताएं :**
   ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिये विभिन्न विषयों में कनिष्ठ अभियंता – (सिविल) (डिग्री/डिप्लोमा) की राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अन्तर्गत भर्ती । समस्त पद स्थाई । कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार से है :–

पद क्रम संख्या	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्त जन L.D.& C.P.	उत्कृष्ट खिलाड़ी
					अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति			
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला		
1.	कनिष्ठ अभियंता – (सिविल) (डिग्रीधारी)	85	32	13	10	3	7	3	12	5	2 (1-OL & 1-BL)	1
2.	कनिष्ठ अभियंता – (सिविल) (डिप्लोमाधारी)	85	32	13	10	3	7	3	12	5	2 (1-OL & 1-BL)	1

नोटः–

1. उपरोक्त दोनों विषयों के राजस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के (समस्त पद दिनांक 10–10–2002 के पूर्व के है) आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22–6–2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जावेगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जायेगा ।
2. राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
3. विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
   स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता (Father) के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अ0पि0व0 का नोन क्रिमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति (Husband) के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. निःशक्त व्यक्तियों के लिए :–
   (अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–
   Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)
   O.L.- One leg affected (R or L)
   (a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
   B.L. - Both legs affected but not arms
   (ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । निःशक्तजन के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
   उपयुक्त निःशक्तजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहॉ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षो तक अग्रणीत करने हेतु अभिस्तावना के द्वारा विभाग को सूचित किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

5. उपर्युक्त विज्ञापित पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्ड़वत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति को पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जावेगी।

स्पष्टीकरण :– ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस् और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संध, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्व विद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

योग्यताएँ :–

<u>पद क्रम संख्या 1 के लिये :–</u>

1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अर्हता
2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

<u>पद क्रम संख्या 2 के लिये :–</u>

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा

   या

   इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिए हो ।
2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

<u>पद क्रम संख्या 1 व 2 के पदों की योग्यताओ के साथ निम्न परन्तुक भी लागू होगा कि :–</u>

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण :– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेगें जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक उपाधि /डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होगें एवं उपाधि/डिप्लोमा परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे आवेदक O.M.R.Application Form के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन कॉलम में दर्शाये "APP" गोले की पूर्ति करें।

वेतनमान (पद क्रम संख्या 1 व 2 के लिए) :– रूपये 5000–8000.

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्त्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा ।

उच्चतर प्रारंभिक वेतन : नहीं ।

आयु (पद क्रम संख्या 1 व 2 के लिए) :– दिनांक 1–1–2008 को न्यूनतम 18 वर्ष एव अधिकतम 37 वर्ष से कम ।

15. **परीक्षा शुल्क** :– पद/पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R.Application Form के मूल्य में परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा । अतः आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र क्रय कर आवेदन करे । यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के O.M.R.Application Form भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे O.M.R.Application Form को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

- सामान्य वर्ग हेतु रूपये 250/– का O.M.R.Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/–)

- राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 150/- का O.M.R. Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 100/- + O.M.R. Application Form का मूल्य रूपये 50 /-)
- समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदको हेतु रूपये 50 /- का O.M.R.Application Form (इन वर्गो के आवेदक शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का ही मूल्य रूपये 50 /- लिया जा रहा है ।)

नोट :-

(1) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा । ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

16. **आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक** – आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक **20-11-2007 (20 नवम्बर, 2007)** सायं पांच बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R. Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें । एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Form भेजा जावें । एक लिफाफे में एक से अधिक O.M.R. Application Form भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी O.M.R. Application Form को पृथम दृष्टिया पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो ।

विशेष टिप्पणी :-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि O.M.R.Application Form भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन, सूचना पत्रिका एवं O.M.R.Application Form भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें चूंकि O.M.R.Application Form में भरी गई सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा स्वतः पढी जावेगी जिसके आधार पर ही आयोग द्वारा आवेदकों को अस्थाई (Provisionl) प्रवेश दिया जावेगा ।
2. आयोग कार्यालय द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता की जांच की जायेगी । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका O.M.R.Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी । O.M.R. Application Form में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा । O.M.R. Application Form के किसी भी संगत (Relevant) कॉलम को खाली नहीं छोडें ।
3. विज्ञापित पदों के विरूद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी । संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जावेगा । आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।
4. O.M.R.Application Form के साथ किसी प्रकार के मूल/प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं करें ।

17. आयोग की वेबसाइटः-

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

(रमेश के. जैन)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सूचना पत्रिका

कनिष्ठ अभियन्ता – (सिविल डिग्री/डिप्लोमा) हेतु

1. पत्र व्यवहार कृपया सचिव के पदनाम से ही करें । पत्र व्यवहार करते समय इस कार्यालय का संदर्भ एफ–7(50) भर्ती/ 2006–07 एवं एफ.7 (8) भर्ती/ 2007–08 विज्ञापन संख्या 3/2007–08,पद क्रम संख्या 1 व 2 एवं पदनाम, विभाग का नाम, रजिस्ट्रेशन/ रोल नम्बर (यदि प्राप्त हो गया है तो), आवेदक का नाम, पूर्ण पता तथा O.M.R.Application Form का बार कोड नम्बर अवश्य दें अन्यथा पत्रों पर कार्यवाही नहीं हो सकेगी । निर्धारित प्रार्थना पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में (1) विज्ञापन संख्या (2) पद व विभाग का नाम । (3) विज्ञापन में रही पद की क्रम संख्या अवश्य लिखें ।

2. आवेदक आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R. Application Form को भरने से पूर्व विज्ञापन, सूचना पत्रिका, O.M.R. Application Form भरने के निर्देश एवं संबंधित सेवा नियमों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें तदानुसार आवेदक स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करते हुए O.M.R. Application Form की निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचनाएँ संबंधित कॉलम्स/ गोलों में पूर्ण एवं सही–सही भरे तथा **घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें यदि हस्ताक्षरयुक्त घोषणा एवं समस्त प्रविष्टियॉं पूर्ण एवं सही–सही नहीं पाई जाती है तो O.M.R. Application Form प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जावेगा । जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।**

3. आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए प्रार्थना पत्र के रूप में आवेदकों से श्रेणीवार O.M.R. Application Form जो कि मजेंडा रंग का निर्धारित है को भरवाकर मंगवाया जा रहा है जिसमें भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदकों की पात्रता (आयु, योग्यता, अनुभव, श्रेणी आदि) की परिनिरीक्षा कम्प्यूटर द्वारा की जावेगी । कम्प्यूटर आधारित परिनिरीक्षा के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर संवीक्षा परीक्षा हेतु प्रवेश दिया जावेगा । अतः आवेदक O.M.R.Application Form को सोच समझ कर भरें । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर अपात्र पाये गये तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी । O.M.R.Application Form की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना स्वीकार की जावेगी । विज्ञापित पदों के विरूद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी । संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन–पत्र भेजकर भरवाया जावेगा । आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

4. O.M.R.Application Form के निर्देशों में आवेदकों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है परन्तु आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि **अब आवेदक O.M.R.Application Form के साथ किसी भी प्रकार के मूल/ प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं करें ।**

5. आवेदक यह भी सुनिश्चित कर ले कि वह जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी का O.M.R.Application Form क्रय कर रहा है । (इस सम्बन्ध में विज्ञापन के बिन्दु ''परीक्षा शुल्क'' का आवश्यक रूप से अवलोकन करें)। **गलत श्रेणी का O.M.R.Application Form क्रय कर आवेदन करने पर आवेदक का O.M.R.Application Form आयोग द्वारा रद्द कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।**

6. आवेदक O.M.R.Application Form जो कि **मजेंडा रंग का निर्धारित** है, को संलग्न निर्देशानुसार नीले बॉलपेन से भरकर आवेदन–पत्र के साथ मय लिफाफे के आवश्यक रूप से संलग्न कर भेजे । **आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि स्केनर शीट आयोग कार्यालय में भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आयु, योग्यता एवं पद के संबंध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाऐं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है । प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही–सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी ।**

7. कृपया ध्यान दें :– आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले आवेदकों से भरवाये जावेगें) भेजना आवश्यक है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–

   (अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।

   (ब) अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमिलेयर/ नॉन क्रिमिलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है ।

   (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन का प्रमाण–पत्र O.M.R.Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए जाति प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा।

   (द) राजस्थान राज्य के अन्य पिछडा वर्ग के क्रिमिलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित O.M.R.Application Form पर आवेदन करना होगा ।

   (य) अन्य पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/ माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो । अन्य पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा । पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

(र) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

(ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि O.M.R.Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिये ।

8. **नियुक्ति के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण संबंधी आवश्यक नोट** :– राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग ने दिनांक 8–4–2003 को एक अधिसूचना जारी कर यह प्रावधान लागू किया है कि – " ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।"

अतः अभ्यर्थी को इस संबंध में सूचना O.M.R.Application Form/ संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले आवेदकों से भरवाये जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र में देनी होगी अन्यथा आयोग द्वारा उस अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अयोग्य मानते हुए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी ।

9. आवेदक के विवाहित होने पर विस्तृत आवेदन पत्र में पति/ पत्नी के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है । इसके प्रमाण स्वरूप आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की दशा में शपथ पत्र संलग्न किया जाना चाहिये जो कि O.M.R.Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी हो ।

10. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिये विभिन्न विषयों में कनिष्ठ अभियंता – (सिविल) (डिग्री/डिप्लोमा) की राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अन्तर्गत भर्ती । समस्त पद स्थाई । कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार से है :–

पद क्रम संख्या	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						निःशक्त जन L.D.& C.P.	उत्कृष्ट खिलाड़ी
					अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जाति			
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला		
1.	कनिष्ठ अभियंता – (सिविल) (डिग्रीधारी)	85	32	13	10	3	7	3	12	5	2 (1-OL & 1-BL)	1
2.	कनिष्ठ अभियंता – (सिविल) (डिप्लोमाधारी)	85	32	13	10	3	7	3	12	5	2 (1-OL & 1-BL)	1

6. उपरोक्त दोनों विषयों के राजस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के (समस्त पद दिनांक 10–10–2002 के पूर्व के है) आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22–6–2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जावेगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जायेगा ।

7. राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

8. विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता (Father) के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अ0पि0व0 का नोन क्रिमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति (Husband) के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

9. निःशक्त व्यक्तियों के लिए :–
(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)
O.L.- One leg affected (R or L)
(a)impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
B.L. - Both legs affected but not arms

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । निःशक्तजन के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
उपयुक्त निःशक्तजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षो तक अग्रणीत करने हेतु अभिस्तावना के द्वारा विभाग को सूचित किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक O.M.R.Application Form के कॉलम संख्या 3 व 4 के यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

10. उपर्युक्त विज्ञापित पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्ड़वत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति को पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जावेगी।

स्पष्टीकरण :– ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस् और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संध, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्व विद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

योग्यताएँ :–

<u>पद क्रम संख्या 1 के लिये :–</u>

3. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अर्हता
4. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

<u>पद क्रम संख्या 2 के लिये :–</u>

3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा

या

इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिए हो ।

4. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

<u>पद क्रम संख्या 1 व 2 के पदों की योग्यताओ के साथ निम्न परन्तुक भी लागू होगा कि :–</u>

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरण :– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेगें जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक उपाधि /डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होगें एवं उपाधि/डिप्लोमा परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे आवेदक O.M.R.Application Form के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन कॉलम में दर्शाये "APP" गोले की पूर्ति करें।

11. **आयु** :– दिनांक 1–1–2008 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :–

1. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा , चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेगें।

2. ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :–

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष और
(ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

4. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।

5. कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा ।

6. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में 40 वर्ष होगी ।

7. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(**स्पष्टीकरण** : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा ।)

8. रिजर्विस्टो अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिको और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

9. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

10. राजस्थान की अन्य पिछडी जाति के अभ्यर्थियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी ।

11. राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार दोनो विषयों में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (डिप्लोमा/डिग्रीधारी) के पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को, पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट दी जावेगी :–

(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष;
(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और
(ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 15 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

नोट:– उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

12. **परीक्षा शुल्क** :– पद/पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से आयोग द्वारा निर्धारित O.M.R.Application Form के मूल्य में परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से लिया जावेगा । अतः आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र क्रय कर आवेदन करे । यदि आवेदक अपने से भिन्न श्रेणी के O.M.R.Application Form भरकर आयोग कार्यालय को भिजवाता है तो ऐसे O.M.R.Application Form को सीधे ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

- सामान्य वर्ग हेतु रूपये 250/– का O.M.R.Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 200/– + O.M.R.Application Form का मूल्य रूपये 50/–)
- राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक हेतु रूपये 150/– का O.M.R. Application Form (परीक्षा शुल्क रूपये 100/– + O.M.R. Application Form का मूल्य रूपये 50 /–)
- समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदको हेतु रूपये 50 /– का O.M.R.Application Form (इन वर्गो के आवेदक शुल्क मुक्त होने के कारण इनसे केवल O.M.R.Application Form का ही मूल्य रूपये 50 /– लिया जा रहा है ।)

नोट :–

(1) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा । ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के (क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर) आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं ।

13. विज्ञापन संख्या– 3/2007–08, पद क्रम संख्या 1 व 2 , विज्ञापन जारी करने की दिनांक 8–10–2007 । प्रत्येक पद/ विषय के लिए पृथक–पृथक निर्धारित O.M.R.Application Form भरना आवश्यक है । यदि आवेदक द्वारा एक ही पद/ विषय के लिए एक से अधिक O.M.R.Application Form भरकर भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों के सभी O.M.R.Application Form प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

14. **आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक** – आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का अन्तिम दिनांक **20–11–2007 (20 नवम्बर, 2007)** सायं पांच बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R. Application Form भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें । एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Form भेजा जावें । एक लिफाफे में एक से अधिक O.M.R. Application Form भेजने पर लिफाफे में प्राप्त सभी O.M.R. Application Form को पृथम दृष्टिया पूर्व स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो ।

15. वेतनमान (पद क्रम संख्या 1 व 2 हेतु) :– रूपये 5000–150–8000

'' ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्त्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :''

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नियमानुसार ।

16. कार्य : ग्रामीण विकास से जुड़े सिविल प्रकृति के समस्त प्रकार के कार्यक्रमों से संबंधित कार्य ।
17. परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार ।
18. महंगाई भत्ता : नियमानुसार
19. मुख्यालय : राजस्थान राज्य की किसी भी पंचायतीराज संस्थान में ।
20. **पेंशन** :– दिनांक 1–1–2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
21. **आयोग की वेबसाइटः–** इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145–2627696 एवं 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

विशेष टिप्पणी :– आवेदक को आयोग के परीक्षा/साक्षात्कार परिसर में मोबाईल फोन लाना वर्जित है ।

(आर.सी.एल.मीणा)
उप सचिव